



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

**“प्रभावी पैरवी कर डकैती एवं हत्या करने वाले 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹45,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”**



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 940/2006 (एफआईआर नं0-211/2006) धारा-396,412 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 06 अभियुक्त 1.हनीफ उर्फ गनी पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ लोटन नि0 कपरिया मोहाल कस्बा व थाना सुमेरपुर 2.पीर अली पुत्र रज्जाक अली नि0 पल्हरी थाना नरैनी जनपद बांदा 3.लाला पुत्र सत्तार नि0 मेता थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर 4.ददू उर्फ सफी मोहम्मद पुत्र गुलाब उर्फ मोतिया नि0 कैथोखर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 5.नत्थू पुत्र कल्लू नि0 स्टेशन रोड मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हालपता जजराहा थाना ललौली फतेहपुर 6.रमजानी पुत्र नत्थू नि0 स्टेशन रोड मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हालपता जजराहा थाना ललौली फतेहपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹45,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अशोक  
कुमार शुक्ला



विवेचक-  
एसओ शशीन्द्र  
प्रसाद शुक्ला



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह